संख्या-1/2018/126/तीन-2018-126/2018

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 01 फरवरी,2018

विषय:- राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र द्वारा निर्धारित कोटिक्रम का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-797/तीन-2013-72(1)/91,दिनांक 17-07-2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स) जारी किया गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक पदों पर पदासीन व्यक्तियों का कोटिक्रम निर्धारित किया गया है उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17-07-2013 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद स्तर पर आयोजित सरकारी समारोहों में शासन द्वारा राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र में निर्धारित कोटिक्रम का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जनपदों में आयोजित सरकारी समारोह में उक्त कोटिक्रम का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है। जनपद स्तर पर आयोजित सरकारी समारोहों में भारत सरकार के मा0 केन्द्रीय मंत्री, राज्य सरकार के मा0 मंत्री, क्षेत्र के मा0 सांसद एवं मा0 विधायक के उपस्थित रहने पर कार्यक्रम के संचालन में आयोजकगण को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि/विशिष्ट अतिथि नामित करने एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का दायित्व देने के सम्बन्ध में बहुधा असहज स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सहायक पूर्वताधिपत्र (सब्सिडियरी वारंट आफ प्रिसीडेन्स) जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत पूर्वताधिपत्र शामिल है, के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसार भारत सरकार के मा0 केन्द्रीय मंत्री, राज्य के मा0 मंत्री, मा0 सांसद एवं मा0 विधायक को मुख्य अतिथि/विशिष्ट अतिथि नामित करने एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व दिया जाना चाहिये, जिसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता हैः-

(1) यदि जनपद स्तर पर कोई सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम में भारत सरकार के मा0 केन्द्रीय मंत्री, राज्य के मा0 मंत्री, मा0 सांसद एवं मा0 विधायक उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के मा0 मंत्री को कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व दिया जाय, भारत सरकार के मा0 केन्द्रीय मंत्री को मुख्य अतिथि तथा मा0 सांसद एवं मा0 विधायक को विशिष्ट अतिथि का दर्जा प्रदान किया जाय।

(2) यदि जनपद स्तर पर कोई सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम में राज्य के मा0 मंत्री, मा0 सांसद एवं मा0 विधायक उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में मा0 सांसद को कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व दिया जाय, राज्य के मा0 मंत्री को मुख्य अतिथि एवं मा0 विधायक को विशिष्ट अतिथि का दर्जा प्रदान किया जाय।

(3) यदि जनपद स्तर पर कोई सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम में मा0 सांसद एवं मा0 विधायक उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में मा0 विधायक को कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व दिया जाय तथा मा0 सांसद को मुख्य अतिथि एवं कोई अन्य विधायक उपस्थित हो तो उन्हें विशिष्ट अतिथि का दर्जा प्रदान किया जाय।

(4) यदि जनपद स्तर पर कोई सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और कार्यक्रम में मा0 विधायकगण उपस्थित है तो ऐसी स्थिति में मा0 क्षेत्रीय विधायक को कार्यक्रम की अध्यक्षता का दायित्व दिया जाय।

उक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-183

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस0एस0पी0/एल-डब्लू0/एन0पी0-91/2011-13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 17 जुलाई, 2013

आषाढ़ 26, 1935, शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या-797/तीन-2013-72(1)/91

लखनऊ, दिनांक 17 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञाप

प0आ0-119

कार्यालय ज्ञाप संख्या-55/तीन-2013, दिनांक 29 जनवरी, 2013 द्वारा निर्गत राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुये कोटिक्रम संख्या-16-अ में राज्य के मंत्रीगण/मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण/नेता विरोधी दल (विधान परिषद/विधान सभा)/लोकायुक्त को रखते हुये कोटिक्रम संख्या-17 एवं 17-अ को रिक्त रखा जाता है।

2-उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनाक 29 जनवरी 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। संशोधित राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र की प्रति संलग्न है। राज्य के सहायक पूर्वताधिपत्र में किया गया उक्त संशोधन इस संबंध में मा0 न्यायालय में दायर रिव्यू पिटीशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय/आदेशों के अधीन होगा।

संलग्नक:यथोक्त।

आज्ञा से,
पी0वी0 जगनमोहन,
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश का संशोधित सहायक पूर्वताधिपत्र

कोटिक्रम (1)	पदनाम (2)
4	राज्यपाल
8	मुख्यमंत्री
8-अ	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति
16	विधान परिषद के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष
16-अ	राज्य के मंत्रीगण/मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण/नेता विरोधी दल (विधान परिषद/ विधान सभा)/लोकायुक्त
17	- - -
17अ	- - -
19	उप सभापति,विधान परिषद, उपाध्यक्ष,विधान सभा, राज्य के राज्य मंत्री,
20	उप मंत्री, महापौर-अपने क्षेत्र में
20-अ	अध्यक्ष,जिला परिषद (अपने क्षेत्र में), अध्यक्ष,नगर पालिका (अपने क्षेत्र में)
22	संसद सदस्य
22-अ	विधान परिषद तथा विधान सभा के सदस्य
24	मुख्य सचिव
24-अ	अध्यक्ष,राजस्व परिषद
25	लेफ्टीनेन्ट जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी
26	एडवोकेट जनरल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
28	सदस्य,राजस्व परिषद, अध्यक्ष,लोक सेवा अधिकरण, विश्वविद्यालय के कुलपति
29	राज्य सरकार के आयुक्त एवं सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, मण्डलायुक्त,उनके समकक्ष या उनसे उच्च स्तर के राज्य सरकार के विभागाध्यक्ष, भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष स्तर के अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, सदस्य,न्यायिक राजस्व परिषद, स्वशासकीय राजकीय निगमों के समकक्ष मुख्य कार्य अधिकारी, महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, मेजर जनरल अथवा सशस्त्र सेना के समकक्ष अधिकारी,
30	राज्य सरकार के सचिव/विशेष सचिव, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक, अन्य विभागाध्यक्ष (जो ऊपर क्रम संख्या 15 में सम्मिलित नहीं है), भारत सरकार के समकक्ष विभागाध्यक्ष
31	जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्साधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।